न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

<u>अपील संख्या 349/18</u> निर्णय दिनांकः—19.11.2018

1. पालासिंह जाति पुत्र सुरजनसिंह जाति जट सिख निवासी ढ़ाबा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 30—05—1998
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

<u>उपस्थितिः—</u>

1. श्री विजय पारिक, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 30—05—1998 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील पूगल में बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के तमाम सबूत प्रस्तुत करते हुए प्रस्तुत करते हुए चक 3 एमजीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 78/28 में 25 बीघा भूमि आवंटन हेतु इस्तदुआ की गई थी।

अपीलांट द्वारा भूमि आवंटन हेतु वांछित तमाम सबूत अपने प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये थे जिससे साबित था कि प्रार्थी/अपीलांट राजस्थान का मूल निवासी व सद्भाविक कृषक है। फिर भी अदालत मातहत द्वारा बिना जॉच किये अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र सबूतों के अभाव में खारिज करने में कानूनी भूल कारित की गई है।

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इसप्रकार अदालत मातहत ने मात्र यह अंकित करते हुए कि अपीलांट द्वारा वांछित सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये है अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 30—05—1998 के विरूद्व अपील दिनांक 05—09—18 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र सबूतों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 30—05—1998 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 10—09—2018 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत करते हुए वादगत् भूमि चक 3 एमजीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 78/28 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा भूमि के आवंटन हेतु इस्तदुआ की गई। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र सबूतों के अभाव में खारिज किया गया है।

(3) इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष बतौर भूमिहीन काश्तकार होने के आधार पर विशेष श्रेणी में भूमि आवंटन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र सबूतों के अभाव में खारिज कर दिया गया।

(4) अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। जो स्पष्ट रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होना परिलक्षित होता है। इसी संदर्भ में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा राजस्थान सरकार का मूल निवासी प्रमाण पत्र, सद्भावी कृषक का प्रमाण पत्र व भूमि तस्दीक प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतियॉ प्रस्तुत करते हुए न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया गया कि अपीलांट मूलतः राजस्थान का निवासी है।

(5) प्रकरण में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अभिलिखित किया गया है कि प्रार्थी राजस्थान का मूल निवासी है **ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को चाहिए था कि वे अपीलांट को बीकानेर का मूल निवासी होने के संबंध में वांछित सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत तरीके से निर्णय पारित करते। अदालत मातहत द्वारा बिना अपीलांट को नोटिस जारी किये व बिना सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जबकि अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष राजस्थान का मूल निवासी, सद्भावी कृषक व भूमि तस्दीक प्रमाण के बाबत् सबूत प्रस्तुत किये गये है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत के कथन व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अपने आप में विरोधाभासी है।**

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश 30—05—1998 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में अपीलांट को वांछित सबूत प्रस्तुत करने व सुनवाई का अवसर प्रदान करते पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 19.11.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर